न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2019 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2019/00011

अनवान

1. श्री कालूलाल पिता रामा मीणा, निवासी पलोदड़ा, तह. सराड़ा, जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री खेमराज ड़ांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सराड़ा, प्र.स. 400/2019 दिनांक 07.06.2019

* निर्णय *

दिनांक– 15-01-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 07.06.2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कथित प्रकरण मे विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से जवाब तारीख 24.05.2019 को बिना देखे एवं उस पर विचार किये बिना आदेश पारित किया हैं। अपीलान्ट ने अपने जवाब के समर्थन मे ग्राम पंचायत सराड़ा के आबादी भूमि के दो विक्रय विलेख प्रस्तुत किये है, जिसमे एक विक्रय विलेख अपीलान्ट के पक्ष मे तथा दुसरा विक्रय विलेख सोमी मीणा के पक्ष मे हैं, जो दिनांक 02.12.1981 के है। इन्ही विक्रय विलेख के आधार पर अपीलान्ट को कब्जा सुपुर्द किया गया हैं एवं उसी अनुसार अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट द्वारा इस पर निर्माण कार्य कर रखा है व निवास कर रहा हैं। अपीलान्ट ने कोई नाजायज कब्जा नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख को निरस्त किये बिना अपीलान्ट को भूमि से बेदखल नही किया जा सकता हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाये गये अभियान के तहत अपीलान्ट द्वारा नसबंदी कराने की एवज मे उसे कथित पट्टा जारी किया गया है, जो नियमन किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट के कब्जे की भूमि को बिना किसी आधार के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करवा दी हैं, जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्ड़ल, अजमेर मे विचाराधीन हैं। ग्राम पंचायत के हाल सरपंच के विरूद्ध अपीलान्ट ने सरपंच का चुनाव का नामांकन भर दिये जाने से सरपंच द्वारा उक्त कार्यवाही कराई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना कथित आदेश पारित किया है, जो

विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण मे पृथक से जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार सराड़ा द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 400/2019 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार सराड़ा द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताया एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो के आधार पर कब्जा नियमन करने हेतु अनुरोध किया है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि मौजा अमरपुरा, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 108 रकबा 0.1900 हेक्टेयर मे से 0.0300 हेक्टेयर भूमि पर पक्की दुकाने बनी हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को पट्टा जारी किया गया है, जो वर्ष 1981 का है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है, बल्कि उसके द्वारा पट्टे वाली भूमि पर ही निर्माण किया गया है एवं उक्त पट्टा नसबंदी अभियान के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे जारी किया गया हैं एवं सक्षम न्यायालय जब तक उक्त पट्टे को निरस्त नही करता है, जब तक धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्यवाही विधि अनुसार नहीं की जा सकती हैं। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब को रेकर्ड पर नहीं लिया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कथित आदेश को निरस्त किया जावें। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे पट्टे की प्रति एवं आर.आर.टी. 2006(1) पृष्ठ 272 की प्रति न्यायिक दृष्टान्त के रूप मे प्रस्तुत की।

बहस मे भाग लेते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि मौजा अमरपुरा, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 108 रकबा 0.1900हेक्टयेर बिलानाम भूमि मे से 0.0300 हेक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पक्की दुकानो का निर्माण कर अतिक्रमण करने की शिकायत प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा द्वारा पटवारी हल्का अमरपुरा से जांच कराई गई, जिसमे उक्त वर्णित आराजीयात के 0.0300 हेक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण साबित होने पर नियमानुसार सुनवाई की जाकर अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने का आदेश दिया गया हैं, जो नियमानुसार है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टो पर आराजी संख्या का उल्लेख नहीं हैं। ऐसी स्थिति मे उक्त पट्टो के आधार पर अपीलान्ट का राजकीय भूमि पर स्वामित्व नही माना जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, न्यायिक दृष्टान्त एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम अमरपुरा, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 108 रकबा 0.1900 हेक्टेयर मे से 0.0300 हेक्टेयर राजकीय भूमि पर अपीलान्ट श्री कालुलाल

पिता रामा मीणा द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने की सूचना अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा मे प्राप्त होने पर उनके द्वारा नियमानुसार जांच उपरान्त अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मौके से बेदखल करने की कार्यवाही की हैं। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट के पास ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे उपलब्ध होना एवं पट्टे निरस्त किये बिना मौके से बेदखल करना अनुचित बताया है, किन्तु मामले मे यह उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा बिलानाम भूमि का न होकर आबादी भूमि का पट्टा पर आराजी संख्या का उल्लेख नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिलानाम भूमि पर कोई पट्टा जारी किया हो। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को आबादी भूमि के संबंध मे पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को बिलानाम भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे जारी आबादी भूमि के पट्टो को आधार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास करना अनुचित हैं। अपीलान्ट अधिवक्ता का कथन है कि उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड पर नहीं लिया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रोसिड़िंग दिनांक 24.05.2019 मे अपीलान्ट के जवाब को रेकर्ड पर लिये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा दिया गया उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2019 को यथावत रखा जाता है एवं तहसीलदार सराड़ा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.01.22 16:45:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: